राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी–राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 05/2017

पंजीयन दिनांक :–05.04.2017

निर्णय दिनांक :–28.03.2018

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद विभाग, डूंगरपुर

प्रार्थी.....

बनाम

श्री सुखलाल पिता शिवलाल निवासी छैला खैरवाडा, उचित मूल्य दुकानदार सेन्टर छैला खैरवाडा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

विपक्षी.....

प्रार्थना–पत्र धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जप्तशुदा लेवी चीनी मात्रा 59 किलो को राजसात करने बाबत

उपस्थितः– 1. विभागीय पेरोकार – प्रवर्तन निरीखक रसद विभाग, डूंगरपुर
2. वकील विपक्षी – श्री लालसिंह चुण्डावत, एडवोकेट

–:निर्णयः–

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि रसद विभाग की ओर से न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि दिनांक 20.03.2017 को उचित मूल्य दुकान छैला खैरवाडा की जांच करने पर यह तथ्य सामने आया कि डीलर/अधिकृत खुदरा विक्रेता श्री सुखलाल को माह अक्टुबर 2016, दिसम्बर 2016, जनवरी 2017 एवं मार्च 2017 के पेटे कुल 44 क्वींटल लेवी चीनी प्राप्त हुई हैं, इसमे से कुल उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पोस मशीन के वितरण स्टेटमेन्ट/इनवोईस के आधार पर कुल 42.34 क्वींटल लेवी चीनी का वितरण किया जाना बताया गया है। इस प्रकार उसके स्टॉक में अवशेष लेवी चीनी मात्रा 1.66 क्वींटल होनी चाहिये थी जबकि भौतिक सत्यापन करने पर डीलर के वितरण स्थल पर 2.25 क्वींटल लेवी चीनी पाई गई। इस प्रकार 59 कि.ग्रा. लेवी चीनी स्टॉक में अधिक पाई गई जिसे जप्त सरकार किया गया। उक्त जप्तशुदा लेवी चीनी मात्रा 59 कि.ग्रा. को उचित मूल्य दुकानदार श्री पुंजीलाल सेन्टर पीपलादा की सुपुदर्गी में दिया गया है। अतः उपरोक्तानुसार जप्तशुदा लेवी चीनी मात्रा 59 कि.ग्रा. को राजसात/कन्फीक्शन कर इसके निस्तारण का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी द्वारा एडवोकेट नियुक्त किया गया एवं अपना लिखित जबाव एवं कुल 10 व्यक्तियों के स्टाम्प पर शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये जिसे शामील पत्रावली किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस समायत की गई। उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि ने अपने प्रार्थना–पत्र के क्रम में कथन किया कि वक्त निरीक्षण 59 कि.ग्रा. लेवी चीनी मौके पर अधिक पाई जाने के कारण से जप्त सरकार की गई थी। उक्त लेवी चीनी को राजसात की जावे।

विपक्षी के उपस्थित योग्य एडवोकेट का कथन है कि लेवी चीनी सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा पोस मशीन से प्राप्त की गई है। उनके द्वारा लेवी चीनी के साथ ही गेंहूँ भी प्राप्त किया गया था। उक्त लोग कार्य पर/मजदुरी पर जाने के कारण लेवी चीनी को बाद में ले जाने का कहकर वही छोडकर चले गये थे, किन्तु बाद में त्यौहारी भीड–भाड व काम–काज के चलते कुछ लोग सामग्री लेवी चीनी ले गये एवं कुछ लोग नहीं ले जा सके जिनके स्टाम्प पेपर पर नोटेरी प्रमाणित शपथ–पत्र जबाव के साथ ही प्रस्तुत किये गये हैं, जो पत्रावली में संलग्न है। दौराने कार्यवाही/बहस उक्त व्यक्तियों के आधार कार्ड की छायाप्रतिया भी प्रस्तुत की गई, जिन्हें पत्रावली पर रखा गया। विपक्षी के योग्य एडवोकेट का आगे यह भी कथन रहा है कि विपक्षी ने प्राप्त समस्त सामग्री गेंहू, केरोसीन व चीनी का नियमानुसार ही वितरण किया है।

उपभोक्ता अधिक वजन होने, श्रम हेतु रोजगार पर जाने व अन्य कारणों के चलते चीनी बाद में आकर ले जाना कहते हुए वहा छोड़कर चले गये जिसमें विपक्षी को दोषी ठहराना न्याय संगत नहीं है। विपक्षी के योगय एडवोकेट का आगे यह भी कहना रहा है कि पत्रावली में उपलब्ध पमादी फर्द मौका पर्चा दिनांक 20.03.2017 में मौके पर उपस्थित एवं उचित मूल्य दुकान से सामग्री प्राप्त कर्त्ता व्यक्तियों ने उन्हें नियमानुसार सामग्री प्राप्त होना बताया है। जप्तशुदा चीनी विपक्षी की नहीं होकर उपभोक्तओं की है। जप्त लेवी चीनी की मात्रा भी मात्र 59 कि.ग्रा. है। विपक्षी का पूर्व का रेकार्ड अच्छा रहा है। जप्त चीनी को राजसात करने से गरीब उपभोक्तओं को नुकसान होगा। अतः प्रार्थना–पत्र खारीज किया जाकर जप्त लेवी चीनी को सुपुदर्गी में से प्रदान कराने के आदेश प्रदान फरमावें।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी रसद विभाग द्वारा तैयार पर्चा मौका में उपस्थिति लोगो/उपभोक्तओं से पुछताछ में सामग्री बराबर मिलना एवं डीलर से शिकायत नहीं होना अंकित है। विपक्षी की ओर से स्टाम्प पेपर रू 50/– पर नोटेरी से प्रमाणित प्रस्तुत शपथ–पत्र पर अविश्वास करने का कोई प्रत्यक्ष कारण दृष्टिगत नहीं होता है। आधार कार्ड की छाया प्रतियां भी संलग्न है। विभाग द्वारा जप्तशुदा लेवी चीनी की मात्रा भी मात्र 59 कि.ग्रा. है। विपक्षी के जबाव/प्रस्तुत शपथ–पत्रों के अनुसार उक्त चीनी उपभोक्तओं की है। इस चीनी को राजसात करने पर उपभोक्ताओं का नुकसान होगा।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। विभाग द्वारा जप्त शुदा लेवी चीनी 59 कि.ग्रा. को अमानतदार की सुपूदर्गी से प्राप्त कर डीलर को सुपुर्द करने के साथ ही डीलर के द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को लौटाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर